| दिनांक | आदेश |
| --- | --- |
| 28.08.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। पत्रावली वास्ते ई. P.D. प्रस्ताव दि० 16.10.25 को पेश हो। |
| 16/10/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो। |
| 17/11/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो। |
| 17/11/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार धोद के पत्रांक: न्या.रा./2025/1976 दिनांक 14.10.25 के साथ विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हो। वकील वादी पत्रावली के बहस का [illegible] वकील वादीगण के [illegible] [illegible] विभाजन के अनुपेर्ध [illegible] पर [illegible] [illegible] हुई है। पत्रावली वास्ते [illegible] [illegible] 25/11/25 को पेश हो। |
| 25/11/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित उप०। बहस पर मनन किया। समस्त पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वादीगण का वाद तहसीलदार [illegible] विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के [illegible] [illegible] किया जाता है। निर्णय [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धो[illegible]ला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.29 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

**बइजलास– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.**

**<u>मुकदमा नंबर – 53/2023</u>**

01. भंवरी देवी पुत्री मोटा
02. सोहनी देवी पुत्री मोटा
    समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर

– वादीयागण

**बनाम**

01. भागू पुत्र जालू
02. रूपा पुत्र जालू
03. रामू पुत्र जालू
04. झाबर पुत्र जालू
05. भगवानी पुत्री जालू
06. मंजू पुत्री जालू
07. सोनी पुत्री जालू
08. दुर्गा पुत्री जालू
09. मूलकी देवी पत्नि जीता
10. ग्यानाराम पुत्र जीता
11. रड़मलसिंह पुत्र बिडदाराम
12. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोतवाली रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर
13. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा नागवा तहसील धोद जिला सीकर
14. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा, धोद तहसील धोद जिला सीकर
15. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
16. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

**<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>**
**<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>**

उपस्थिति–
श्री रतनलाल, एड. वकील वादीयागण की ओर से

**–:निर्णय:–**

दिनांक–24.12.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "कृषि भूमियां खसरा सं. 570 रकबा 0.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 571 रकबा 1.0000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 563 रकबा 1.1200 हेक्टेयर, खसरा सं. 569 रकबा 1.9600 हेक्टेयर, खसरा सं. 572 रकबा 0.8200 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.9000 हेक्टेयर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर के संबंध में वादीयागण के वाद में बंटवारे के अनुतोष को स्वीकार किया जाकर आराजियात के बंटवारा हेतु तहसीलदार, धोद को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक [illegible].04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक [illegible]/2025/1946 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीयागण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.29 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

17/11/2025



...थित होकर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार, धोद द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय ...री नक्शा के आधार पर वादीयागण का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। उपस्थित वकील वादीयागण उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीयागण का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमत है। अतः प्रकरण में विवादित भूमियों के बंटवारें की अंतिम डिक्री तहसीलदार, धोद के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1946 दिनांक 14.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 570 रकबा 0.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 571 रकबा 1.0000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 563 रकबा 1.1200 हेक्टेयर, खसरा सं. 569 रकबा 1.9600 हेक्टेयर, खसरा सं. 572 रकबा 0.8200 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.9000 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

| क्र. सं. | खातेदार विवरण | खसरा सं. | रकबा (हेक्टेयर) |
|---|---|---|---|
| 1 | झाबर पुत्र जालू हि. 1142/5375 राहिन आर.जी.बी. घोद दुर्गा पुत्री जालू हि. 51/2150 भगवानी पुत्री जालू हि. 51/2150 भागू पुत्र जालू हि. 5756/21500 मंजू पुत्री जालू हि. 51/2150 रूपा पुत्र जालू हि. 1142/5375 रामू पुत्र जालू हि. 1142/5375 सोनी देवी पुत्री जालू हि. 51/2150 समस्त जाति बलाई सा.देह खातेदार | 670/1029<br>571 मिन<br>572 | 0.3500<br>0.9800<br>0.8200 |
| | योग | किता 3 | 2.1500 |
| 2 | भंवरी देवी पुत्री मोटा हि. 1/2 राहिन पी.एन.बी. शाखा कोतवाली रोड़, सीकर सोहनीदेवी पुत्री मोटा हि. 1/2 राहिन पी.एन.बी. शाखा कोतवाली रोड़, सीकर समस्त जाति बलाई सा.देह खातेदार | 570 मिन<br>563<br>569 मिन | 0.4500<br>1.1200<br>0.0300 |
| | योग | किता 3 | 1.6000 |
| 3 | ज्ञानाराम पुत्र जीता हि. 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार मूलकी पत्नी जीता हि. 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार | 569 मिन | 1.9300 |
| | योग | किता 1 | 1.9300 |
| 4 | रड़मलसिंह पुत्र बीड़दाराम जाति बलाई सा.देह खातेदार | 571 मिन<br>570 मिन | 0.0200<br>0.4200 |
| | योग | किता 2 | 0.4400 |

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1946 दिनांक 14.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.29 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

# अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

भंवरी देवी आदि

बनाम

भागू आदि

मुकदमा नम्बर– 53/2023

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक– .12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री रतनलाल, एड. मिनजानिब मुददई रूबरू — मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1946 दिनांक 14.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 570 रकबा 0.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 571 रकबा 1.0000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8700 हेक्टेयर, खसरा सं. 563 रकबा 1.1200 हेक्टेयर, खसरा सं. 569 रकबा 1.9600 हेक्टेयर, खसरा सं. 572 रकबा 0.8200 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.9000 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

| क्र. सं. | खातेदार विवरण | खसरा सं. | रकबा (हेक्टेयर) |
|---|---|---|---|
| 1 | झाबर पुत्र जालू हि. 1442/5375 राहिन आर.जी.बी. धोद दुर्गा पुत्री जालू हि. 51/2150 भगवानी पुत्री जालू हि. 51/2150 भागू पुत्र जालू हि. 5756/21500 मंजू पुत्री जालू हि. 51/2150 रूपा पुत्र जालू हि. 1142/5375 रामू पुत्र जालू हि. 1142/5375 सोनी देवी पुत्री जालू हि. 51/2150 समस्त जाति बलाई सा.देह खातेदार | 670/1029<br>571 मिन<br>572 | 0.3500<br>0.9800<br>0.8200 |
| | योग | किता 3 | 2.1500 |
| 2 | भंवरी देवी पुत्री मोटा हि. 1/2 राहिन पी.एन.बी. शाखा कोतवाली रोड़, सीकर सोहनीदेवी पुत्री मोटा हि. 1/2 राहिन पी.एन.बी. शाखा कोतवाली रोड़, सीकर समस्त जाति बलाई सा.देह खातेदार | 570 मिन<br>563<br>569 मिन | 0.4500<br>1.1200<br>0.0300 |
| | योग | किता 3 | 1.6000 |
| 3 | ज्ञानाराम पुत्र जीता हि. 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार मूलकी पत्नी जीता हि. 1/2 जाति बलाई सा.देह खातेदार | 569 मिन | 1.9300 |
| | योग | किता 1 | 1.9300 |
| 4 | रड़मलसिंह पुत्र बीड़दाराम जाति बलाई सा.देह खातेदार | 571 मिन<br>570 मिन | 0.0200<br>0.4200 |
| | योग | किता 2 | 0.4400 |

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1946 दिनांक 14.10.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया [illegible] यदि [illegible] रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को त[illegible] जा[illegible] हों।

यह आज तारीख 24 .12.2025 को [illegible] से और [illegible] न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.29 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर